

88

C.R. 67-50

न्यायालय: राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

1994 निकागनो

30

R.M. 5-3/R/297/94
 राजश्री भारद्वाज पुरखर
 श्री हनुमन्त पुरखर
 डबरा 08. डबरा जिला
 के अदेश दिनों के
 15-6-16 के अदेश दिनों के
 से शोधन किया

हनुमन्त पुर श्री पन्ना

जगदीश पुर गणेशदास,

निवासीगण- जवाहरगंज, डबरा जिला
 ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- Ex x2- महिला राजकुमारी विधवा पत्नी रघुप्रताप भारद्वाज
- Ex x3- श्रीकेश कुमार पुर रघुप्रताप भारद्वाज निवासीगण ग्राम पक जौरासी, तहसील डबरा जिला ग्वालियर
- Ex x4- श्रीमती भुभा शर्मा पत्नी प्रेम शर्मा पुर रघुप्रताप, निवासी रामा सो मार्केट, के पोडे, पनलका बाजार डबरा, ग्वालियर (म.प्र.)
- Ex x5- रामलिया पुर छत्ता
- Ex x6- गोकलिया पुर छत्ता
- Ex x7- विजोरी पुर बंधी
- 8- रामदास पुर बंधी
- 9- बलवन्तनाथ पुर गणेश
- 10- प्रभानाथ पुर गणेश

पुन

(Signature)

11 2 11

- ✓ 11- कामतानाथ पुत्र गणेश ✓
- Ex x12- रामस्वरूप पुत्र गणेश
- Ex x13- कम्मोदी नाथ पुत्र जगन्नाथ
- Ex x14- मेहरबान पुत्र सस्य
- Ex x15- लोरन पुत्र नभुआ
- Ex x16- जीवनलाल पुत्र बहोदुरा ✓
- Ex x17- जसुआ पुत्र लक्ष्मणा
- Ex x18- मंगू पुत्र देवो ✓
- Ex x19- अतरनाथ पुत्र रिरदारनाथ ✓
- Ex x20- अमृतनाथ पुत्र सिरदार
- Ex x21- भगवानदास पुत्र गाविन्दी ✓

पुत्र

सुत

समस्त निवासीगण ग्राम जौरासी
 तहसील खबर जिला ग्वालियर
 -- -- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश सूच्य भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-1993, न्यायालय अणर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 137/90-9। पुनरीक्षण में पारित आदेश के विरुद्ध।

महोदय,

अनावेदकगण/निगरानीकर्ताओं की ओर से निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1] यह कि, अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश अवैध, खिलाफ कानून एवं प्रकरण पत्रावली के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

(Signature)



2] यह कि, अणर जिला अध्याय महोदय ने कौर कानूनी प्रावधानों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक आर.एन./5-3/आर/297/94

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.05.2019	<p>आवेदक श्री रमेश भारद्वाज उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकरण आज लिया गया। प्रकरण क्र. आर.एन./5-3/आर/296/94 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2017 के साथ प्रकरण क्र. आर.एन./5-3/आर/297/94 में भी लागू किया गया है, परंतु आदेश में निगरानी प्रकरण के सभी पक्षकार का उल्लेख नहीं है, उनके द्वारा सभी पक्षकारों का उल्लेख किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि भी अभिलेख से होती है। अतः निगरानी में उल्लेखित सभी पक्षकारों के नामों को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.02.2017 के साथ संलग्न कर कम्प्यूटर में लोड कराये जावें।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

27

प्रकरण क्रमांक आर.एन. 5-3/आर/296/94 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-93 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 136/90-91/निग.

- 1- हुकुमचन्द्र पुत्र श्री चन्द्र (मृतक) द्वारा वारिसान रमेश भारद्वाज पुत्र स्व. हुकुमचन्द्र
- 2- जगदीश पुत्र गणेशदास (मृतक) द्वारा वारिसान मनीष भारद्वाज पुत्र स्व जगदीश निवासीगण जवाहरगंज डबरा जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
- 2- महिला राजकुमारी विधवा पत्नी रघुप्रताप भारद्वाज
- 3- शक्ति कुमार पुत्र रघुप्रताप निवासीगण ग्राम चक जौरासी तहसील डबरा जिला ग्वालियर
- 4- श्रीमती शुभ शर्मा पत्नी प्रेम शर्मा पुत्री रघुप्रताप निवासी राम मार्केट के पीछे, फालका बाजार लशकर, ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/2/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-93 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि धारक रघुप्रताप के विरुद्ध सीलिंग प्रकरण क्रमांक 6/अ-74/अ-90/बी-3 में पारित आदेश दिनांक 15-10-75 से 36.81

0227

43

एकड़ सूखी भूमि अतिशेष घोषित की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15-11-88 को प्रश्नाधीन भूमि को भूमिहीनों को आवंटित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 1260/88 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-88 को आदेश पारित कर निर्देश दिये गये कि धारक से दो माह की अवधि में विकल्प लिया जाकर उसकी इच्छा के अनुसार भूमि ली जावे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी, उबरा द्वारा दिनांक 30-1-89 को आदेश पारित कर धारक की स्वेच्छा अनुसार सर्वे क्रमांक 560, 507 एवं 562 कुल रकबा 36.81 एकड़ भूमि प्राप्त कर पुनः वंटन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14-5-91 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-12-93 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा बिना अभिलेख देखे विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है, जबकि कानूनन अपीलीय न्यायालय को रिकार्ड देखकर ही विधिवत रूप से आदेश पारित करना चाहिए। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 11 (5) पर कोई विचार नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का वंटन निरस्त कर दिया गया है, और आवेदकगण धारक के परिवार के सदस्य हैं एवं प्रश्नाधीन भूमि पर उनका निरंतर कब्जा चला आ रहा है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से 1/2 हिस्सा आवेदकगण का निर्धारित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण बटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश नहीं होकर प्रशासनिक




आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पट्टा निरस्त किये जाने संबंधी आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने वे वह अंतिम हो गया है ।

29

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।


5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 प्रश्नाधीन भूमियों का धारक है, और उसे प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण को देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 22-1-2004 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, और अंतिम आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपीलें भी निर्णीत हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में निर्णीत बिन्दुओं पर पुनः विचार किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-93 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक आर.एन. 5-3/आर/297/94 (हुकुमचन्द्र पुत्र श्री चन्द्र (मृतक) द्वारा वारिसान रमेश भारद्वाज विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि) पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।


A32


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर